रणछोड़लाल विरूद्ध श्रीमती मायादेवी आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 4278–दो/14

जिला – शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.2.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, मो. बड़ोदिया के प्रकरण कमांक 79/अ–12/2013–14में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18–6–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 20.11.14 को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं समयसीमा के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । प्रकरण में आवेदक के द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें यह उल्लेख है कि उसे 11–6–14 को स्थल निरीक्षण हेतु सूचना मिली थी किंतु उक्त दिनांक को कोई सीमांकन नहीं हुआ और वह यह सोचकर आ गया कि आगामी सूचना आयेगी किंतु उसको बिना किसी सूचना के आदेश दिया गया है और कब्जे को लेने की सूचना 12–10–14 को हुई है । प्रकरण में जो पंचनामा है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि मौके पर रणछोड़लाल का 0.05 आरे पर कब्जा पाया गया । पंचनामे में उसके द्वारा हस्ताक्षर करनेसे मना किए जाने का भी उल्लेख है, ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा विलंब क्षमा के आवेदन में जो आधार लिए गए हैं वह सद्भाविक प्रतीत नहीं होते हैं । दर्शित परिस्थिति में प्रकरण में विलंब क्षमा का समुचित आधार न होने से यह निगरानी अवधि बाह्य होने के कारण अग्राह्य की जाती है । सदस्य	

मानीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर : कैम्प उज्जैन :

प्र0 क्रं0 /14 निगरानी. R-4278-II/14

रणछोड़लाल पिता श्री लक्ष्मीनारायणजी, खाती
आयु 50 वर्ष, निवासी ग्राम फरदखेड़ी, तहसील
मोहन बड़ोदिया, जिला शाजापुर ---- आवेदक

विरुद्ध

1- श्रीमती मायादेवी पत्नी श्री सुरेशजी, कुल्मी
निवासी ग्राम मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर
2- म0प्र0 राज्य शासन द्वारा तहसीलदार
मो. बड़ोदिया, जिला शाजापुर. -- अनावेदकगण.

प्रार्थी अभिभाषक श्री शैलेन्द्र कुमार गोयल
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 20.11.14
20.11.14
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

दिनांक 15.12.14 को [illegible]

R 15/12/14

[illegible] 22-12-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0.

मानीय महोदय,

अधिनस्थयोग्य न्यायालय तहसीलदार, तहसील मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर द्वारा प्रदत्त आदेश प्र0 क्रं0 79/13-14 /अ-12 दिनांक 18-6-14 से असन्तुष्ट होकर यह निगरानी पेश की जारही है ।

-:: प्रकरण के [illegible] तथ्य ::-